(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III खंड 4 में प्रकाशित)

# महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

**जी. सं. 209** **नई दिल्ली** 22 अक्तूबर, 2007

## अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत् द्वारा, पत्तन के मार्शलिंग यार्ड के उपयोग के लिए किराया तय करने हेतु तूतीकोरिन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन प्रदान करता है ।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

# <u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

<u>प्रकरण सं. टीएएमपी /38/2006-टीपीटी</u>

तूतीकोरिन पत्तन न्यास --- आवेदक

## <u>आ दे श</u>

(अक्तूबर 2007 के 12 वें दिन पारित)

यह प्रकरण पत्तन के मार्शलिंग यार्ड के उपयोग के लिए किराया तय करने हेतु तूतीकोरिन पत्तन न्यास से प्राप्त दिनांक 4 अगस्त 2006 के प्रस्ताव से संबंधित है ।

2.1. टीपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित मुख्य बिन्दु उठाए हैं:-

(i) तूतीकोरिन पत्तन में मार्शलिंग यार्ड वह महत्वपूर्ण प्रचालनीय क्षेत्र है जहाँ रेल मार्ग से आने जाने वाला यातायात वैगनों में चढ़ाया अथवा उनसे उतारा / प्रहस्तित किया जाता है ।

(ii) मार्शलिंग में स्थान पत्तन उपयोगकर्त्ताओं को, (कार्गो) विभिन्न गन्तव्य स्थानों की ओर रवाना करने / पत्तन के माध्यम से निर्यात करने के पूर्व थेलों में भरने, मानकीकरण इत्यादि मूल्य अभिवृद्धि गतिविधियों के लिए उपलब्ध करवाया जाता है । फिर भी पत्तन के वर्तमान दरमान में पत्तन के मार्शलिंग-यार्ड के उपयोग के लिए कोई अलग दरें निर्धारित नहीं की गई हैं ।

(iii) इस पृष्ठभूमि में, 7 जुलाई 2006 को पत्तन उपयोगकर्त्ताओं के साथ हुई चर्चा के आधार पर, पत्तन के मार्शलिंग-यार्ड के उपयोग के लिए किराया निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव किया गया है । इससे वर्तमान सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और इस पत्तन के जरिए अधिकाधिक आयात-निर्यात हेतु यह प्रोत्साहन का काम करेगा ।

2.2. तदनुसार. टीपीटी ने अपने वर्तमान दरमान के अध्याय-III कार्गो संबंधी प्रभार के अन्तर्गत निम्नलिखित दरें प्रविष्ट करवाने का प्रस्ताव किया है:-

''मार्शलिंग यार्ड के लिए लाइसैंस (भंडारण शुल्क)

| क्र.सं. | विवरण | यूनिट | दर, रूपयों में |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| क | ढका हुआ स्थान | | |
| 1. | 3 दिन या उसके भाग का पहला चरण (अवधि) | प्रति 10 वर्ग मीटर | 100.00 |
| 2. | 3 दिन या उसके भाग का दूसरा चरण (अवधि) | प्रति 10 वर्ग मीटर | 150.00 |
| 3. | 3 दिन या उसके भाग का तीसरा चरण (अवधि) | प्रति 10 वर्ग मीटर | 200.00 |
| 4. | 3 दिन या उसके भाग का चौथा चरण (अवधि) | प्रति 10 वर्ग मीटर | 250.00 |
| 5. | 3 दिन या उसके भाग का पाँचवा चरण (अवधि) | प्रति 10 वर्ग मीटर | 300.00 |
| 6. | इसके बाद 3 दिन या उसके भाग के प्रत्येक चरण (अवधि) के लिए | प्रति 10 वर्ग मीटर | 350.00 |
| ख | उपलब्ध 9600 वर्ग मीटर का खुला स्थान | | |
| 1. | 3 दिन या उसके भाग का पहला चरण (अवधि) | प्रति वर्ग मीटर | 1.00 |
| 2. | 3 दिन या उसके भाग का दूसरा चरण (अवधि) | प्रति वर्ग मीटर | 1.50 |
| 3. | 3 दिन या उसके भाग का तीसरा चरण (अवधि) | प्रति वर्ग मीटर | 2.00 |
| 4. | 3 दिन या उसके भाग का चौथा चरण (अवधि) | प्रति वर्ग मीटर | 2.50 |
| 5. | 3 दिन या उसके भाग का पाँचवा चरण (अवधि) | प्रति वर्ग मीटर | 3.00 |
| 6. | इसके बाद 3 दिन या उसके भाग के प्रत्येक चरण (अवधि) के लिए | प्रति वर्ग मीटर | 3.50 |

नोट:

(i) उपरोक्त दरें कार्गो के निर्यात एवं आयात दोनों पर लागू हैं ।

(ii) इस सुविधा का केवल रेल मार्ग से आने जाने वाला कार्गो ही हकदार है ।

(iii) बर्थों पर खड़े पोतों को वरीयता दी जाएगी ।

(iv) उपर्युक्त दरें केवल थेलों में भरने की गतिविधियों के लिए हैं ।

(v) आबंटन आरम्भ में केवल 3 दिन के लिए ही होगा और बाद की अवधियों के लिए नवीकरणीय होगा ।

(vi) थैले में भरने या कोई अन्य मूल्य अभिवृद्धि के बिना रेल मार्ग से आने-जाने वाला बल्क कार्गो, पहले प्रेषण के भंडारण प्रवेश / अवतरण के समय से 24 घंटे के नि:शुल्क अवधि का हकदार होगा । उसके बाद उपर्युक्त चरणों के अनुसार दरें लागू होंगी ।''

2.3. टीपीटी ने सूचित किया है कि प्रस्तावित दरें 13 जुलाई 2006 से तदर्थ आधार पर पहले से ही लागू की जा रही हैं (संबद्ध उपयोगकर्त्ताओं से प्राप्त की गई सम्मति के आधार पर) । इसलिए, इसने इस प्राधिकरण को प्रस्तावित प्रशुल्क स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है ।

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार टीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव संबद्ध उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए भेजा गया था । उपयोगकर्त्ताओं / उपयोगकर्त्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियां टीपीटी को भेज दी गई थीं । टीपीटी ने उपयोगकर्त्ताओं की टिप्पणियों का कोई उत्तर नहीं दिया है ।

4. टीपीटी से प्रस्ताव के संदर्भ से कुछ बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न और टीपीटी द्वारा प्रस्तुत उनके उत्तरों का संक्षिप्त रूप नीचे सारणीबद्ध दिया गया है:-

| क्र.सं. | हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न | टीपीटी द्वारा प्रस्तुत उत्तर |
|---|---|---|
| (i) | इस बात की पुष्टि कीजडिए कि 13 जुलाई 2006 से तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दरों को लगाते समय संशोधित मार्गदर्शियों की धारा 2.17.2 और 2.17.3 का अनुपालन किया गया था या नहीं । | प्रस्तावित प्रशुल्क को तदर्थ आधार पर लागू करते समय संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.17.2 और 2.17.3 का अनुपालन किया गया था । |
| (ii) | प्रस्तावित दर निर्धारित करने का आधार स्पष्ट कीजिए । यह भी स्पष्ट कीजिए कि प्रस्तावित शुल्क पत्तन द्वारा प्रदत्त तुलनीय | तदर्थ दरें निम्नानुसार व्युत्पन्न की गई हैं:<br>(क) ढकी हुई जगह के बारे में पहले चरण के लिए प्रस्तावित दर |

| | | |
|---|---|---|
| | सेवाओं के लिए प्रचालित अधिसूचित दरों से किस प्रकार तुलनीय हैं । | तक पहुँचने के लिए पहले दो सप्ताहों या उसके भाग के संबंध में वर्तमान अधिसूचित प्रशुल्क का 150%, 3 दिन के लिए समानुपातिक रूप से लिया गया है । इसके बाद के प्रत्येक चरण के लिए रू. 50/- की समान वृद्धि की गई है ।<br>(ख) इसी प्रकार कुले स्तान के लिए भी, पहले चरण के लिए प्रस्तावित दर तक पहुँचने के लिए प्रत्येक सप्ताह या उसके भाग के संबंध में वर्तमान अधिसूचित प्रशुल्क का 150%, 3 दिन के लिए समानुपातिक रूप से लिया गया है . इसके बाद के प्रत्येक चरण के लिए रू. 0.50 की समान वृद्धि की गई है । |
| (iii) | प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था पर उपयोगकर्त्ताओं से प्राप्त सम्मति की एक-एक प्रति भिजवाएँ । | तूतीकोरिन स्टीवेडोर्स एसोसिएशन के सम्मति पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की गई है । |
| (iv) | टीपीटी ने प्रस्तावित दरें 13 जुलाई 2006 से लागू करने हेतु केवल तूतीकोरिन स्टीवेडोर्स एसोसिएशन की सम्मति प्रस्तुत की है । तूतीकोरिन कस्टम्स हाऊस एजेन्ट्स एसोसिएशन की टिप्पणियाँ बताती हैं कि उन्होंने 13 जुलाई 2006 से प्रस्तावित दरें तदर्थ आधार पर लागू करने के लिए अपनी सम्मति नहीं दी है,कृपया इस संबंध में विशिष्ट टिप्पणी पेश करें । | इसने इस बिन्दु पर कोई उत्तर नहीं किया । |

5. टीपीटी द्वारा बोर्ड के सदस्यों के साथ बुलाई गई बैठक के कार्यवृत्त में रिकार्ड किया गया है कि उपयोगकर्त्ताओं द्वारा कार्गो के मानकीकरण के लिए मार्शलिंग यार्ड का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जा रहा था । पत्तन को कुछ उपयोगकर्त्ताओं द्वारा क्षेत्र के एकाधिकार के बारे में कुछ आपत्ति थी । इससे बचने के लिए इसने पत्तन उपयोगकर्त्ताओं से विस्तृत विचार विमर्श के बाद मार्शलिंग यार्ड के उपयोग के लिए, सामान्य भंडारण शुल्क के लिए लागू दरों से अधिक दरें प्रस्तावित की हैं । बैठक का कार्यवृत्त यह बताता है कि प्रस्तावित प्रशुल्क जो तदर्थ आधार पर लगाया गया है, अच्छी तरह काम कर रहा है । इसलिए यह बोर्ड के सदस्यों से लिए गए अनुमोदन पर आधारित है और संबद्ध सदस्यों ने अनुरोध किया कि 13 जुलाई 2006 से लागू की गई तदर्थ दर को तीन माह की एक और अवधि के लिए या जब तक फाइनल दरें टीएएमपी द्वारा अनुमोदित की जाती हैं, इनमें से जो भी बाद में हो, तक विस्तार प्रदान किया जाए । इसने प्रस्तावित दर के विस्तार के लिए टीएसए से प्राप्त सहमति अग्रेषित की है ।

6. इस प्रकरण में एक संयुक्त सुनवाई 13 जुलाई 2007 को तूतीकोरिन पत्तन न्यास परिसर में आयोजित की गई थी । इस संयुक्त सुनवाई में टीपीटी और उपयोगकर्त्ता संगठनों ने अपने-अपने पक्ष रखे ।

7. इस प्रकरण में परमार्श से संबंधित समस्त प्रक्रिया इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्ड पर उपलब्ध है । प्राप्त टिप्पणियों और संबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों सार-संक्षेप सम्बद्ध पक्षों को अलग से भेजा जाएगा । ये ब्यौरे हमारे वैबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे ।

8. इस प्रकरण पर कार्यवाही करने के दौरान संग्रहित सूचनी की समग्रता के संदर्भ से निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(i) तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) का प्रस्ताव पत्तन के मार्शलिंग यार्ड के उपयोग के लिए लाइसैंस (भंडारण ) शुल्क आरम्भ करने का प्रस्ताव है । रेल मार्ग से आने-जाने वाले कार्गो के मामले में उपयोगकर्त्ताओं द्वारा अनुरोध किए जाने पर पत्तन का मार्शलिंग यार्ड अतिरिक्त गतिविधियां सम्पन्न करने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है । मार्शलिंग यार्ड में भंडारण क्षेत्र उपयोगकर्त्ताओं को उपलब्ध करवाने के लिए टीपीटी के वर्तमान दरमान में कोई प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया गया है ।

पत्तन ने सूचित किया है कि मार्शलिंग यार्ड में प्रदत्त भंडारण क्षेत्र पर कुछ उपयोगकर्त्ताओं द्वारा एकाधिकार जमाया जा रहा है । टीपीटी ने मार्शलिंग यार्ड के लिए, ढके हुए और खुले स्थान के लिए लागू सामान्य भंडारण शुल्क से अधिक किराया वसूलने का प्रस्ताव किया है । ऐसा, कुछ उपयोगकर्त्ताओं द्वारा मार्शलिंग यार्ड के दीर्घकालिन भंडारण क्षेत्र के रूप में उपयोग करने को हतोत्साहित करने के लिए किया गया है ।

प्रस्तावित दर एक लागत आधारित दर नहीं है । यह ढके हुए स्थान और खुले स्थान के लिए प्रचलित भंडारण शुल्क पर 150% लागू करके और पहले चरण में निर्धारित दिनों की संख्या के लिए यथा अनुपात समायोजन करके व्युत्पन्न की गई है । बाद के चरणों के लिए, एकदम पिछले चरण के लिए प्रस्तावित दर के ऊपर, ढके हुए स्थान के लिए रू. 50/- प्रति दस वर्ग मीटर और खुले हुए स्थान के लिए 0.50 प्रति वर्गमीटर की दर से समान रूप से वृद्धि की गई है । रेल मार्ग से आने जाने वाले ऐसे बल्क कार्गो के मामले में, जिसके साथ मार्शलिंग यार्ड में थैलों में भरने जैसी मूल्य अभिवृद्धि वाली सेवा नहीं जुड़ी है, पहला प्रेषण पहुंचने के समय से 24 घंटे की नि:शुल्क अवधि प्रस्तावित की गई है ।

(ii) टीपीटी ने सूचित किया है कि प्रस्तावित दर सम्बद्ध उपयोगकर्त्ता एसोसिएशनों के साथ परस्पर सहमति पर आधारित है । तूतीकोरिन स्टीवेडोर्स एसोसिएशन (टीएसए) से प्राप्त टिप्पणियाँ इस स्थिति की पुष्टि करती हैं ।

टीएसए द्वारा की गई इस सामान्य टिप्पणी के प्रस्तावित प्रभार वाजिब नहीं है क्योंकि उपयोगकर्त्ता मार्शलिंग यार्ड में लदान / उतराई के लिए पहले से भुगतान करते ही है , के अलावा किसी अन्य उपयोगकर्त्ता एसोसिएशन की ओर से कोई मुद्दा आधारित आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है । इस संदर्भ में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्रस्तावित दर लदान / उतराई प्रचालनों के लिए नहीं है, किन्तु रेल मार्ग से आने जाने वाले कार्गो को वैगनों पर रखने से पहले / से उतारने के बाद विभिन्न गतिविधियाँ सम्पन्न करने हेतु उपयोगकर्त्ताओं को प्रदत्त भंडारण क्षेत्र के लिए है ।

चूंकि तूतीकोरिन स्टीवेडोर्स एसोसिएशन (टीएसए) ने सिद्धांतत: प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था को, अपनी सहमति दे दी है और इस

बात को मान्यता देते हुए कि अन्य उपयोगकर्त्ताओं की ओर से कोई मुद्देवार आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है और यह स्वीकार करते हुए कि प्रस्तावित दर पहले से ही एक वर्ष से अधिक से तदर्थ आधार पर लागू कर दी गई है, यह प्राधिकरण पत्तन के मार्शलिंग यार्ड के उपयोग के लिए प्रस्तावित किराया दर को अनुमोदन प्रदान करने की इच्छा रखता है ।

(iii) टीपीटी ने, सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं से प्राप्त की गई परस्पर सहमति के आधार पर 13 जुलाई 2006 से तदर्थ रूप से प्रस्तावित प्रशुल्क को लागू कर दिया है । तूतीकोरिन कस्टम्स हाऊस एजेन्ट्स एसोसिएशन का अभिमत है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें, भावी मामलों में, आगामी प्रभाव से लागू की जानी चाहिए ।

संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शी, पत्तन को प्रस्तावित प्रशुल्क तदर्थ दरों पर इस शर्त पर प्रचालित करने की अनुमति देते हैं कि यह तुलनीय सेवाओं / कार्गो के लिए वर्तमान अधिसूचित प्रशुल्क के आधार पर व्युत्पन्न है और इसे सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं की परस्पर सहमति प्राप्त है । टीपीटी ने यह स्वीकार किया है है कि प्रस्तावित किराया दर, टीपीटी के दरमान में निर्धारित भंडारण शुल्क के आधार पर व्युत्पन्न है और सम्बद्ध उपयोगकर्त्ताओं से प्राप्त परस्पर सहमति पर आधारित है । तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दरों का क्रियान्वयन संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों की धारा 2.17.4 के अनुरूप है ।

(iv) सामान्यत:, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरें तीन वर्षों के लिए वैध होती हैं । यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस प्रशुल्क मद से प्रोद्भूत होने वाली आय, टीपीटी द्वारा दाखिल किए गए सामान्य संशोधन प्रस्ताव में जिस पर एक अलग प्रकरण के रूप में कार्रवाई की जा रही, सम्मिलित की गई है । अतएव, इस प्रशुल्क मद की, टीपीटी के दरमान की अगली सामान्य समीक्षा के साथ समीक्षा की जाएगी ।

9. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए हुए कारणों से एवं समग्र विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण मार्शलिंग यार्ड के उपयोग के लिए टीपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क को अनुमोदन प्रदान करता है और इस आदेश के पैरा

2.2 में प्रस्तावित दरों और शर्तों को टीपीटी के वर्तमान दरमान के अध्याय-III कार्गो के से संबंधित प्रभार में प्रविष्ट करता है ।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष